कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सूरजपुर वनमण्डल सूरजपुर (छ.ग.)

Phone No. (07775)-266992 (O) **E-mail Id** -dfosurajpur@gmail.com

क्रमांक/मा.चि./ 1682 सूरजपुर, दिनांक 26/ 5/2017

प्रति

कार्यपालन अभियंता

अति उच्च दाब निर्माण संभाग,

छ.रा.वि.पारे.कं.मर्या, कोरबा

विषयः— लिलो ऑफ 132 के.व्ही. डी.सी.डी.एस. विश्रामपुर – प्रतापपुर–बलरामपुर लाईन के लो. नम्बर 42/0 से टेपिंग कर प्रस्तावित 132/33 के.व्ही. उपकेन्द्र राजपुर,लाईन में प्रभावित कुल वनभूमि 18.204 हे. का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत प्रत्यावर्तन बावत् ।

– पंजीयन क्रमांक– FP/CG/TRANS/17263/2015

संदर्भः— अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू– प्रबंध) छ.ग. रायपुर का पत्र क्र./भू–प्रबंध/विद्युत/479–155/1655 दिनांक 22.05.2017

—00—

विषयान्तर्गत सूरजपुर वनमण्डल अन्तर्गत लिलो ऑफ 132 के.व्ही. डी.सी.डी.एस. विश्रामपुर–प्रतापपुर–बलरामपुर लाईन के लो. नम्बर 42/0 से टेपिंग कर प्रस्तावित 132/33 के.व्ही. उपकेन्द्र राजपुर लाईन में सूरजपुर वनमण्डल के प्रतापपुर परिक्षेत्र अंतर्गत प्रभावित आरक्षित वन 1.210 हें.,सरक्षित वन 6.942 हें.,एवं राजस्व वनभूमि 3.091 हें. कुल प्रभावित वनभूमि 11.243 हे. एवं बलरामपुर वनमण्डल अन्तर्गत राजस्व वनभूमि 6.961 हें. सकल प्रभावित वनभूमि 18.204 हें. वनभूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 अन्तर्गत वनभूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव की प्रथम चरण की स्वीकृति भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय नागपुर के पत्र क्रमांक/ F.No. FC- II/CH-53/2016-NGP/1701 दिनांक 03.05.17 के द्वारा जारी की गयी है।

उक्त परियोजना में सूरजपुर जिले के सूरजपुर वनमण्डल तथा बलरामपुर जिले के बलरामपुर वनमण्डल बलरामपुर अन्तर्गत प्रभावित वनभूमि पर खड़े वृक्षों के विदोहन एवं काष्ठागार डिपो अम्बिकापुर तक परिवहन के लिये परिक्षेत्राधिकारी प्रतापपुर एवं वनमण्डलाधिकारी बलरामपुर वनमण्डल बलरामपुर के द्वारा निम्न विवरण अनुसार विदोहन योजना तैयार कर प्रस्तुत किया गया है।

वनमण्डल का नाम	वनपरिक्षेत्र का नाम	परियोजना में प्रभावित वनभूमि			प्रभावित वनभूमि पर खड़े वृक्षों की संख्या	विदोहन एवं परिवहन पर अनुमानित व्यय की राशि	परिक्षेत्राधिकारी का पत्र क्रमांक/दिनांक
		वनभूमि रकबा (हे.में)	राजस्व वनभूमि रकबा (हे.में)	कुल वनभूमि रकबा (हे.में)			
सूरजपुर	प्रतापपुर	8.152	3.091	11.243	97	275000.00	742 दिनांक 09.05.17
बलरामपुर	राजपुर	—	6.961	6.961	15	194951.00	व.म.अ. बलरामपुर का पत्र पृ. क्र./3019 दिनांक 15.05.17
कुल योग :—		**8.152**	**10.052**	**18.204**	**112**	**469951.00**	

अतः उपरोक्तानुसार सूरजपुर वनमण्डल, सूरजपुर के लिए वृक्ष विदोहन एवं परिवहन की अनुमानित राशि 275000.00 (दो लाख पचहत्तर हजार रूपये) मात्र एवं बलरामपुर वनमण्डल, बलरामपुर के लिए वृक्ष विदोहन एवं परिवहन की अनुमानित राशि 194951.00 (एक लाख चौरानबे हजार नौ सौ इक्यावन रूपये) मात्र का संबंधित वनमण्डलाधिकारी के नाम किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से बैंक ड्राफ्ट पृथक–पृथक तैयार कर संबंधित वनमण्डल में तत्काल प्रस्तुत करें, ताकि प्रकरण में प्रभावित वनभूमि पर खड़े वृक्षों के विदोहन हेतु विदोहन योजना वरिष्ठ को प्रस्तुत किया जाकर आवश्यक अनुमति प्राप्त किया जा सके।

वनमण्डलाधिकारी
सूरजपुर वनमण्डल, सूरजपुर

पृ.क्रमांक/मा.चि./ 1683 सूरजपुर, दिनांक 26/5/2017

प्रतिलिपि –1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) छ.ग. रायपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

2. मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वन वृत्त अम्बिकापुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. वनमण्डलाधिकारी, बलरामपुर वनमण्डल, बलरामपुर के पत्र पृ. क्र./मा.चि./3019 दिनांक 15.05.2017 के तारतम्य में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

वनमण्डलाधिकारी
सूरजपुर वनमण्डल, सूरजपुर

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सूरजपुर वनमण्डल सूरजपुर (छ.ग.)

Phone No. (07775)-266992 (O) **E-mail Id** -dfosurajpur@gmail.com

क्रमांक/मा.चि./ 1684 सूरजपुर, दिनांक 26/5/2017

प्रति

कार्यपालन अभियंता

अति उच्च दाब निर्माण संभाग,

छ.रा.वि.पारे.कं.मर्या, कोरबा

विषयः– **लिलो ऑफ 132 के.व्ही. डी.सी.डी.एस. विश्रामपुर – प्रतापपुर–बलरामपुर लाईन के लो. नम्बर 42/0 से टेपिंग कर प्रस्तावित 132/33 के.व्ही. उपकेन्द्र राजपुर,लाईन में प्रभावित कुल वनभूमि 18.204 हे. का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत प्रत्यावर्तन बावत्।**

– पंजीयन क्रमांक– FP/CG/TRANS/17263/2015

संदर्भः– भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय नागपुर का पत्र क्र./F No. FC-II/CH-53/2016-NGP/1702 दिनांक 03.05.17

––00––

विषयान्तर्गत सूरजपुर वनमण्डल अन्तर्गत लिलो ऑफ 132 के.व्ही. डी.सी.डी.एस. विश्रामपुर–प्रतापपुर–बलरामपुर लाईन के लो. नम्बर 42/0 से टेपिंग कर प्रस्तावित 132/33 के.व्ही. उपकेन्द्र राजपुर लाईन में सूरजपुर वनमण्डल के प्रतापपुर परिक्षेत्र अंतर्गत प्रभावित आरक्षित वन 1.210 हें.,सरक्षित वन 6.942 हें.,एवं राजस्व वनभूमि 3.091 हें. कुल प्रभावित वनभूमि 11.243 हे. एवं बलरामपुर वनमण्डल अन्तर्गत राजस्व वनभूमि 6.961 हें. सकल प्रभावित वनभूमि 18.204 हें. वनभूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 अन्तर्गत वनभूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव की प्रथम चरण की स्वीकृति भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय नागपुर के पत्र क्रमांक/ F.No. FC- II/CH-53/2016-NGP/1701 दिनांक 03.05.17 के द्वारा जारी की गयी है।

मुख्य वन संरक्षक भू–प्रबंध छत्तीसगढ़ रायपुर के पत्र क्रमांक/भू–प्रबंध/खनिज/224/358 दिनांक 11.03.2013 के निर्देशानुसार प्रत्याशा मूल्य की गणना प्रतिवेदन सूरजपुर वनमण्डल में प्रभावित वन भूमि 11.243 हे0 हेतु कार्यालयीन पत्र क्रमांक/मा.चि./920 दिनांक 06.05.2017 तैयार कर मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वन वृत्त, अम्बिकापुर को प्रस्तुत किया गया। मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वन वृत्त, अम्बिकापुर के पत्र क्रमांक/मा.चि./न.क्र.–54/2017/1935 दिनांक 19.05.2017 द्वारा प्रकरण अन्तर्गत प्रस्तुत प्रत्याशा मूल्य गणना पत्रक का अनुमोदन किया गया है एवं बलरामपुर वनमण्डल, बलरामपुर में प्रभावित वनभूमि 6.961 हे0.हेतु मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वन वृत्त, अम्बिकापुर के पत्र क्रमांक/मा.चि./ न.क्र.–54/2017/1994 दिनांक 23.05.2017 के द्वारा अनुमोदित प्रत्याशा मूल्य गणना पत्रक प्रस्तुत किया गया है।

उक्त प्रकरण में भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय नागपुर के अधिरोपित शर्त क्रमांक–iv के परिपालन में सूरजपुर वनमण्डल सूरजपुर अन्तर्गत आने वाले वन क्षेत्र 11.243 हे. प्रत्याशा मूल्य की राशि रू0 73,47,868=00 (तिहत्तर लाख सैतालिस हजार आठ सौ अरसठ रूपये) एवं बलरामपुर वनमण्डल बलरामपुर जिला बलरामपुर अन्तर्गत आने वाले वाले 6.961 हे0 के लिये प्रत्याशा मूल्य की राशि रू0 5081530=00 (पचास लाख इक्यासी हजार पॉच सौ तीस रूपये) कुल वनभूमि 18.204 हे0, कुल प्रत्याशा मूल्य की राशि रू0 12429398=00 (एक करोड़ चौबीस लाख उन्नतीस हजार तीन सौ अन्ठानबे रूपये) जमा करने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त प्रकरण में भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय नागपुर के अधिरोपित शर्त क्रमांक–ii के परिपालन में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु वनपरिक्षेत्र रामानुजगंज अन्तर्गत वनखण्ड चिनिया, परिसर रामपुर कक्ष क्रमांक–पी 3486 में बिगड़े वन भूमि 37.000 हे. क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु चयनित की गई है। वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु चयनित बिगड़े वनभूमि 37.000 हे0 हेतु 10 वर्षीय सिंचित वैकल्पिक वृक्षारोपण (वर्ष 2017–18) हेतु 600222/हेक्टेयर की दर से कुल आवश्यक राशि रू. 22208214.00 (दो करोड़ बाइस लाख आठ हजार दौ सौ चौदह रूपये) मात्र है।

प्रथम चरण की अधिरोपित शर्त क्रमांक– (19)d के परिपालन में औषधीय पौधों के रोपण (वनक्षेत्र में कुल लम्बाई–6742 मी. एवं चौडाई – 8.00 मी. = 5.394 हे. हेतु वर्ष 2017–18 के लिए (सिंचित) रोपण 600222/हेक्टेयर की दर से कुल आवश्यक राशि रू. 3237597.00 (बत्तीस लाख सैतीस हजार पांच सौ सनतानवे रूपये) मात्र है।

अतः उक्त प्रकरण में प्रत्याशा मूल्य, वैकल्पिक वृक्षारोपण (वर्ष 2017–18) एवं औषधीय पौधों की रोपण (वर्ष 2017–18) के निर्धारित दर से आवश्यक राशि का विवरण निम्नानुसार है–

क्र.	विवरण	जमा की जाने वाली राशि
1	गणना पत्रक अनुसार प्रत्याशा मूल्य की अनुमोदित राशि	12429398.00
2	व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित वनभूमि 18.204 हे. के बदले वैकल्पिक वृक्षारोपण (सिंचित) की राशि	22208214.00
3	औषधीय वृक्षारोपण 5.898 हे. हेतु राशि	3237597.00
	योग :–	**37875209.00**

वन संरक्षण अधिनियम 1980 अन्तर्गत प्रथम चरण स्वीकृति के पश्चात् प्रस्ताव से सम्बधित समस्त भुगतान 'कार्पोरेशन बैंक नई दिल्ली के CAMPA खाता में जमा करने हेतु ई–चालान के माध्यम से भारत सरकार की वेब साईट http://forestclearence.nic.in द्वारा किया जाना है। ई–चालान की विस्तृत जानकारी के लिये भारत सरकार की वेब साईट की होम पेज में सपोर्ट टैब में क्लिक कर ई–चालान के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

अतः उक्त प्रकरण में प्रभावित वनभूमि 19.907 हे. के लिये प्रत्याशा मूल्य, वैकल्पिक वृक्षारोपण एवं औषधीय पौधों की रोपण हेतु कुल राशि **37875209.00 (तीन करोड़ अठ्हत्तर लाख पचहत्तर हजार दो सौ नौ रूपये)** मात्र का भुगतान कार्पोरेशन बैंक नई दिल्ली के CAMPA खाता में ई–चालान के माध्यम से जमा कर ई–चालान की कॉपी तत्काल प्रस्तुत करें।

वनमण्डलाधिकारी
सूरजपुर वनमण्डल, सूरजपुर

पृ.क्रमांक/मा.चि./ 1685 सूरजपुर, दिनांक 26/5/2017

प्रतिलिपिः–
1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (भू–प्रबंध) छ.ग. रायपुर को सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वन वृत्त अम्बिकापुर को सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. वनमण्डलाधिकारी, बलरामपुर वनमण्डल बलरामपुर को सूचनार्थ प्रेषित ।

वनमण्डलाधिकारी
सूरजपुर वनमण्डल, सूरजपुर